

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ प्रमंडल, भागलपुर

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक-2285/सा0, दिनांक-30.05.2022 एवं मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-937 दिनांक-08.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में एन0 आर0 ओ0 /शाहकुण्ड-भागलपुर दिनांक-22.06.2022 का नया रिटेल आउटलेट खोलने हेतु चेकलिस्ट, नक्शा एवं अन्य कागजात प्राप्त हुआ था, जो मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-937 दिनांक-08.08.2022 द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा (05) पाँच साल के लिए एकरारनामा (छायाप्रति सलग्न) कर लिया गया है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपने स्तर से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करना चाहेंगे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Ebt

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

ज्ञापांक- 1635 (सा0)

दिनांक- 22.08.2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती कुमारी लवली आनंद, पति-श्री पवन कुमार, ग्राम-शिवरामपुर, पोस्ट-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि भविष्य में MORTH Norms का अनुपालन करते हुए भूमि उपयोग शुल्क के रूप में वर्ष-2023 से 5 प्रतिशत की दर से निर्धारित शुल्क की गणना कर कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समर्पित करने हेतु एक सप्ताह के अंदर एक एकरारनामा संपादित करेंगे।

अनु0-यथोक्त।

कार्यपालक अभियंता

पथ प्रमंडल, भागलपुर।

30.08.22



बिहार BIHAR

2022

17 JUN 2022

कार्यपालक पदाधिकारी
भागलपुर

5995 18.7.22 01/25 11/10/22 1000 AN 304181

Syed Md. Naqvi
S V. Court Compound
B.G.P.R.L No 1/87-88

अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु ; करारनामा

मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-937 दिनांक-08.08.2022 के आलोक में शाहकुण्ड-अमरपुर-देवघर पथ (SH-85) के चैनेज रू- 8.365 से 8.400 में प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, बेगुसराय का ब्या रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु श्रीमती कुमारी लवली आनन्द पति- श्री ब्रुवन कुमार, ग्राम-शिवरामपुर, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन नं0-813108 को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है:-

Kumari Lovely Anand

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर

1. यह कि भविष्य में आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
2. पेट्रोल पम्प की स्थापना अनुमोदित नक्शा के अनुरूप करना होगा।
3. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-4770 (ई) दिनांक-24.08.2017 के कंडिका-6 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 के अनुपालन के आलोक में कैलेंडर वर्ष 2023 में राशि 15,815.00, कैलेंडर वर्ष 2024 में राशि 16,606.00, कैलेंडर वर्ष 2025 में राशि 17,436.00, कैलेंडर वर्ष 2026 में राशि 18,308.00 एवं कैलेंडर वर्ष 2027 में राशि 19,224.00 रु० मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के भागलपुर शाखा में भुगतये हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
4. पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात् दिसम्बर 2027 से चार माह पूर्व प्रमंडल कार्यालय में नवीकरण के आवेदन के साथ राशि 10000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से बनवाकर नवीकरण करा लेना अनिवार्य होगा। ससमय लाईसेंस नवीकरण नहीं कराने पर प्रतिमाह दण्ड स्वरूप राशि 5000.00 रु० वसूली किया जाएगा।

✓ *Kumari Lovely Anand*
आउटलेट रिटेलर
का हस्ताक्षर

22/08/2022
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर